

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री जवानसिंह राव पुत्र श्री रतनसिंह
जाति राव
निवासी मीरा होटल कोठार के सामने अनादरा
तहसील रेवदर जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार रेवदर

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 48 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जज इस हुकम की जारीगिरी
22.08.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 21.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी. पीटिशन नं. 481/2022 के सन्दर्भ में दिनांक 18.01.2022 को पारित आदेश खसरा सं. 1855 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा सं. 1858 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा में तहसीलदार रेवदर आज दिन तक क्या कार्यवाही की गई, जिसकी सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को दिनांक 21.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी. पीटिशन नं. 481/2022 के सन्दर्भ में दिनांक 18.01.2022 को पारित आदेश खसरा सं. 1855 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा सं. 1858 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा में तहसीलदार रेवदर आज दिन तक क्या कार्यवाही की गई, जिसकी सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भंकर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

